राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : प.17(02)नविवि/अभियान/2026 **जयपुर, दिनांक : यथा–हस्ताक्षरित**

24 JUN 2026

आदेश

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक भूमि/एफ.7 (ड)(श.से.शि.)/डीएलबी/2026/3651 दिनांक 10.06.2026 द्वारा राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु शहरी सेवा शिविर 2026 के संबंध में आदेश जारी किए गए है।

उक्त आदेश की निरन्तरता में नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 104–ए जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 90 जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 85, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 85, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 88, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 88, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 की धारा 88, भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 की धारा 88 एवम् राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की समस्त निकाय क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर में जनहित में छूट एवं निकाय स्तर पर शक्तियां/अधिकारिता निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(5) के अंतर्गत लॉटरी के माध्यम से आवंटित/विक्रय किए गए ऐसे भूखण्ड, जिनकी बकाया राशि निर्धारित समयावधि में जमा न कराने के कारण आवंटन निरस्त हो चुका है, उनके नियमितीकरण/बहाली हेतु देय ब्याज एवं शास्ति सहित बकाया राशि जमा कराने की शर्त के अधीन, पूर्व में निकाय स्तर पर निर्धारित 2 वर्ष की समय–सीमा को बढ़ाकर अभियान अवधि के दौरान 7 वर्ष तक किए जाने संबंधी शक्तियाँ स्थानीय निकायों को प्रत्यायोजित की जाती हैं।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

24/6/26
(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

24.6.26
(रवि विजय)
उप शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
6. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर./स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
13. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
15. समस्त प्रशासक, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
16. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
17. समस्त जोन उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर/कोटा/जोधपुर।
18. नविवि, स्वा.शा. एवं हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारीगण।
19. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
20. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सैल, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
21. सुरक्षित पत्रावली।

24.6.26.

उप शासन सचिव–प्रथम